पश्चिमी घाट में बचेंगे तीन लाख पेड़

भारत डोगरा

पर्यावरणविद बहुत समय से कहते रहे हैं कि किसी भी विकास के नाम पर बनाई जा रही परियोजना में इस ओर समुचित ध्यान दिया जाए कि इसमें वनों और वृक्षों की कितनी क्षति हो रही है। यदि यह क्षति बहुत अधिक है तो ऐसी परियोजना पर पुनर्विचार करना चाहिए।

पर्यावरणविदों की इस सलाह की बार-बार अवहेलना होती रही है, पर हाल ही में एक ऐसा उदाहरण सामने आया है कि पर्यावरणविदों के परामर्श को माना गया व इस कारण लगभग 3 लाख पेड़ों की रक्षा हो सकी है।

यह मामला है हुबली-अंकोला ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना का जिसे आरंभ में लौह अयस्क के आयात को बढ़ाने के लिए व बड़े पैमाने पर लौह अयस्क ढोने के लिए ज़रूरी बताया गया। बाद में इसका महत्व कम होने पर कई औचित्य जोड़ने का प्रयास किया गया। इस परियोजना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील माने गए पश्चिमी घाट के 965 हैक्टर वन क्षेत्र को काटने की अनुमति मांगी गई। बाद में दबाव पड़ने पर इसे 720 हैक्टर तक और फिर 667 हैक्टर तक कम किया गया। इस कमी के बाद भी यह स्पष्ट था कि इन वनों के कटने से पर्यावरण की अपूरणीय क्षति होगी।

पश्चिमी घाट जैव-विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्रों में माना जाता है। इसके बावजूद यहां प्राकृतिक वनों का बहुत विनाश हुआ है। अतः जो प्राकृतिक वन बचे हैं उनकी रक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत से वन्य जीवों का अस्तित्व इनसे जुड़ा है और बहुत से गांववासियों की आजीविका भी।

परिसर संरक्षण केंद्र व वाइल्डरनेस क्लब जैसे कई पर्यावरण संगठनों ने इन वनों की रक्षा का अभियान चलाया। इसके लिए अनेक जन सभाओं का आयोजन किया गया। दूसरी ओर कुछ लोगों ने परियोजना के पक्ष में भी आवाज़ उठाई जिसमें अनेक असरदार स्थानीय नेता भी थे।

वर्ष 2004 में केंद्र सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने इस परियोजना की समीक्षा कर कहा कि इतने बड़े क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से इतने अमूल्य वनों का विनाश उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के बावजूद परियोजना से जुड़े हितों ने परियोजना में थोड़ा-बहुत फेरबदल कर स्वीकृत करवाने के प्रयास जारी रखे।

इस स्थिति में परिसर संरक्षण केंद्र व वाइल्डरनेस क्लब ने वनों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल एम्पॉवर्ड समिति की टीम क्षेत्र में भेजी गई। इस टीम की अध्यक्षता पी.वी. जयकृष्णनन ने की व इसके मेम्बर सेक्रेटरी एम.के. जीवराजका रहे।

इस समिति ने 3 अगस्त 2015 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इतने बड़े पैमाने पर अति महत्वपूर्ण वनों का विनाश करने वाली परियोजना को स्वीकृति न दी जाए। इस वन-क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखने वाले पर्यावरण संगठनों का अनुमान है कि इस तरह लगभग 3 लाख वृक्षों की रक्षा हो सकेगी। ***(स्रोत फीचर्स)***